न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा,

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–12/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मूलाराम पुत्र श्री सगाराम 2. गणेशराम पुत्र श्री घीसाराम 3. कुनाराम पुत्र श्री घीसाराम 4. बाबुलाल पुत्र श्री छोटूराम 5. जगदीश पुत्र श्री छोटूराम सभी जातियान सीरवी निवासीगण बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		1. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा 2. नगरपालिका बिलाड़ा, जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिलाड़ा, जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 92 ए, 188राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री डी.डी. रामावत एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री आर.आर. चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 28-6-2017

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिलाड़ा चक संख्या 1 की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 3308/1 रकबा 12 बीघा आयी हुयी है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण की खरीदसुदा, कब्जासुदा खातेदारी की है तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में मदनलाल पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद जाति अग्रवाल निवासी जोधपुर तथा रूपसिह पुत्र श्री भूरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सरदारपुरा जोधपुर से वादीगण संख्या 4 व 5 के पिता श्री छोटूराम ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 03.05.1979 को खरीद की उक्त बैचान दस्तावेज संख्या 731 दिनांक 11.05.1979 को उप पंजीयक कार्यालय बिलाड़ा में पंजीयन सुदा है। जिसमें वादग्रस्त जमीन जो 8 बीघा भूमि मदनलाल से तथा 5 बीघा भूमि रूपसिंह से खरीद किया जाना उल्लेखित है तथा उक्त सम्पूर्ण 13 बीघा मौके पर एक ही चक बना हुआ है, जिसका उल्लेख उक्त बैचान पत्र में किया हुआ है तथा बैचान पत्र में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि रकबा 13 बीघा के पड़ौस उतर में खसरा नम्बर 3307, 3306, 3305 व दक्षिण में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में 3309 व 3011 तथा पूर्व में इसी खसरे की बची हुयी शेष भूमि व इसके परे ग्राम बिंजवाड़िया की सरहद है। उक्त बैचान के आधार पर खरीददार छोटूराम ने वादग्रस्त जमीन पर उक्तानुसार कब्जा प्राप्त कर लिया एवं माफिक बैचान दस्तावेज नामान्तरकरण छोटूराम के नाम स्वीकृत किया गया तत्पश्चात् उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि वादीगण ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख संख्या 947 दिनांक 23.11.1985 को खरीद कर लिया। वादग्रस्त भूमि पर शुरू से वादी संख्या 4 व 5 के पिता एवं उसके पश्चात् उनके द्वारा बैचान के कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

चले आ रहे है। वादीगण द्वारा श्री छोटूराम से वादग्रस्त भूमि खरीद किये जाने तथा खरीददारान के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि में से 5 बीघा भूमि के सम्बंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आवंटन के सम्बंध में विवाद उत्पन्न हो गया जिसके चलते 5 बीघा जमीन के सम्बंध में आवंटन रद्द किया जाकर 5 बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 3308 के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर ली गयी उक्त आदेश को चुन्नोति देने पर वादीगण के पक्ष में फैसला हो जाने से न्यायालय के आदेश से पुनः 5 बीघा जमीन म्यूटेशन संख्या 474 के पूर्ववत वादीगण के नाम दर्ज कर ली गयी। जिससे सम्पूर्ण 13 बीघा वादग्रस्त भूमि वादीगण की निश्चायक रूप से खातेदारी की कब्जासुदा भूमि है।प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कभी कोई सरोकार नही रहा है। इसके उपरान्त वे वादीगण की 5 बीघा जमीन के सम्बंध में आंवटन के सम्बंध में मुकदमे एवं कार्यवाहियो के विचारण के दरम्यान वादीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही राजस्व रेकर्ड नक्शे में मनमाने तरीके से निराधार प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वादग्रस्त जमीन का कुल रकबा तरमीम दर्शा दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में किया गया उक्त परिवर्तन वादीगण के हितो के विरूद्ध सर्वथा बेअसर है। वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा जो वाद का भाग है जिसमें वादग्रस्त भूमि को मार्क ए.बी.सी.डी. कर दर्शाया है। उक्त स्थिति अनुसार ही वादीगण मौके पर वक्त खरीद की तिथी से आज दिनांक तक काबिज है एवं उनके द्वारा खरीद की गई वादग्रस्त भूमि के बैचान दस्तावेज में भी उक्तानुसार पड़ौस दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादीगण निश्चित रूप से वादग्रस्त भूमि जो संलग्न नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी. के खातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा हाल ही में पटवारी द्वारा राजस्व नक्शे 'की नकल लेने पर उन्हे प्रतिवादी संख्या 2 के नाम विवादित तरमीम की जानकारी हुयी। अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वाद पत्र में सलग्न नक्शे माफिक राजस्व नक्शे में यथास्थान अंकन करने हेतु सम्बंधित को आदेशित किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जे व उपयोग व उपभोग में किसी भी रीति से दखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाने का आदेश फरमावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि को खरीदसुदा कब्जासुदा होना व उक्त भूमि पूर्व में मदनलाल पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद जाति अग्रवाल निवासी जोधपुर तथा रूपसिंह पुत्र

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

श्री भूरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सरदारपुरा जोधपुर से वादीगण संख्या 4 व 5 के पिता छोटूराम ने जरिये पंजीबद्ध विकय से खरीद की थी जबकि वादीगण ने अपने पिता छोटूराम के मृत्यु होने के बाद दावा में उनके विधिक वारिशान की सूची पेश नही की है व छोटूराम के सभी उत्तराधिकारी को उक्त वाद व प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाने से वादीगण का प्रार्थना पत्र व वाद काबिले खारिज है। वादग्रस्त भूमि के पड़ौस में पूर्व में इसी मूल खसरे की भूमि में से थोडा रकबा मौके पर सरकारी भूमि के रूप में खुला पड़ा है तथा शेष भूमि पर माफिक बैचान दस्तावेज वादीगण काबिज है व गलत पडौस बता कर नगरपालिका की रास्ते पर आई भूमि को वादीगण हडपना चाहते है। वादग्रस्त स्थल के दक्षिण में सड़क के पास वादीगण का कोई कब्जा नही रहा है। वादग्रस्त भूखण्ड वादीगण का कब्जा न होकर पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 के कब्जा का भूखण्ड का हिस्सा था उक्त खसरा नम्बर 3308 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 17.03.2002 से पूर्व उक्त खसरा प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा की भूमि थी जो राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर के आदे ा क्रमांक प–13(12–)राजस्व/सिवाय/हस्ता/2002/5575 दिनांक 22.02.2002 के आदे ा उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ ाहर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/विविध/2002/477 दिनांक 18.02.2002 प्रेषित कर निवेदन किया कि नगरपालिका बिलाड़ा ने निम्नानुसार सिवाय चक भूमि स्थित है राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(9)राज./ग्रुप–6/2001 दिनांक 23.02.2001 की अनुपालना में नगरपालिका क्षैत्र में स्थित निम्न बिला नाम सिवाय चक भूमि काके यदि नगरपालिका बिलाड़ा को हस्तान्तरित किया जाता है तो कोई आपति नही है। अतः शासन उपसचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प–6(9) राजस्व/ग्रुप–6/2001 दिनांक 23.02.2001 एवं राजस्व सचिव राजस्व एवं उपनिदेशन विभाग के पत्र एफ6(124)राजस्व/4/83/30 दिनांक 18.11.1983 में वर्णित शर्तो एवं उपबन्धों एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर की रिपोर्ट दिनांक 18.02.2002 के आधार पर नगरपालिका बिलाड़ा को हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार साहब ने दिनांक 07.03.2002 को खसरा नम्बर 3308 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज किया गया। तब से उक्त भूखण्ड पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 का चला आ रहा है और प्रतिवादी संख्या 2 उक्त खसरा नम्बर 3308 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा की देख रेख व उस पर साफ सफाई का कार्य करती चली आ रही है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है व वादीगण जो गलत तरमीम होना बता रहे है अगर ऐसा होता तो वादीगण तरमीम निरस्त करने की कार्यवाही करता जबकि ऐसा कोई साक्ष्य वादपत्र के साथ उपलब्ध नही है। वादीगण का खसरा रोड़ के

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

पिछे आया हुआ है जो रोड़ पर गलत कब्जा बता कर प्रतिवादीगण संख्या 2 की भूमि पर अतिकमण कर नगरपालिका की भूमि को हडपने की नियत से यह दावा पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में जवावदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने जो अपनी प्रार्थना चाही है वह गलत है वादग्रस्त स्थल खसरा नम्बर 3308 पर पहले सरकारी भूमि थी जो दिनांक 07.03.2002 से नगरपालिका के नाम की कब्जासुदा भूमि है वर्तमान जमाबन्दी में व राजस्व नक्शे में भी उक्त भूखण्ड नगरपालिका बिलाड़ा के नाम दर्ज है। वादीगण का न तो ख्खसरा नम्बर 3308 स्थल के सम्बंध में कोई स्वत्व अधिकार और कब्जा है और न ही वादीगण का मूल वाद ऐसे किन्ही अधिकारों के सृजन की घोषणा का है। यानि वादीगण का वाद ही प्रथम दृष्टया कानून चलने योग्य नही है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विशेष हर्जे से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि कस्बा बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 3308 रकबा 13 बीघा आयी हुयी है, जिसकी खातेदारी नैनसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी 9 वी रोड़ सरदारपुरा जोधपुर की थी। खातेदार नैनसिंह व रूपसिंह ने अपनी भूमि को बैचान करने हेतु मदनलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति अग्रवाल निवासी सरदारपुरा तीसरी रोड़ जोधपुर को आम मुख्त्यार नियुक्त किय। आम मुख्त्यार मदनलाल अग्रवाल ने छोटूराम पुत्र सगाराम जाति सीरवी (चोयल) निवासी बिलाड़ा को रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 11.05. 1979 को कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा में भूमि खसरा नम्बर 3308 रकबा 13 बीघा के पड़ौस उतर में खसरा नम्बर 3307, 3306, 3305 स्थित है, दक्षिण तरफ आम रास्ता, पूर्व तरफ बींजवाड़िया की सीमा है व इसी खसरा नम्बर 3308 में से बची हुयी भूमि है जिस पर आपका बताये गये कब्जा है। पश्चिम में भूमि खसरा नम्बर 3309, 3311 स्थित है। तत्प चात् उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3308/1 रकबा 13 बीघा भूमि का बैचान छोटूराम पुत्र सगाराम जाति सीरवी (चोयल) निवासी बिलाड़ा ने वादी मूलाराम वगैराह के पक्ष में दिनांक 23.11.1985 को कर दिया। उक्त बैचाननामा दिनांक 23.11.1985 में किसी प्रकार के पड़ौस आदि नही बताये गये है। भूमि खसरा नम्बर 3308/1 रकबा 13 बीघा का बैचाननामा में पड़ौस के अनुसार मौके पर तरमीम की जा चुकी है। लेकिन वादी ने खसरा नम्बर 3308 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जो राजकीय भूमि थी, उस पर उसकी नजर अतिक्रमण करने की हो गयी तो प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा वादीगण के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी और उसे मौके पर से बेदखल किया गया है। वादीगण को भूमि

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 3308/1 रकबा 13 बीघा की नक्शा ट्रेस में तरमीम की जानकारी शुरू से ही है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 3 बीघा 10 बिस्वा को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर के आदेश क्रमांक प–12(12–) राजस्व/सिवाय/हस्ता./2002/5575 दिनांक 22.02.2002 द्वारा भूमि नगरपालिका बिलाड़ा को हस्तान्तरण किया जा चुका है। उक्त भूमि पर नगरपालिका बिलाड़ा का कब्जा है। वादीगण का मौके पर कोई कब्जा नही है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 3308 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का गलत कब्जा बताकर नगरपालिका बिलाड़ा की भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण ने दावा पेश किया है। वादीगण को उक्त दावे से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नही हो सकती है। अगर वादीगण का राजस्व रेकर्ड में नक्शे में गलत तरमीम की कोई कार्यवाही कर दी गयी है तो वादीगण सक्षम न्यायालय में तरमीम निरस्ती की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है। वादीगण का दावा अस्पष्ट एवं अधूरा है वादीगण ने अपने स्वयं के अभिवचनों के कथनों से बताया है कि राजस्व नक्शे की नकल लेने पर जानकारी हुयी और दुरूस्ती करने को कहा, इस तथ्य से यह साबित होता है वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अतः मेरे सुविचारित मत से वादीगण का दावा चलने योग्य नही होने से खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28-6-2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
केम्प कोर्ट चान्देलाव

व इजलास हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. मूलाराम पुत्र श्री सगाराम
2. गणेशराम पुत्र श्री घीसाराम
3. कुनाराम पुत्र श्री घीसाराम
4. बाबुलाल पुत्र श्री छोटूराम
5. जगदीश पुत्र श्री छोटूराम
   सभी जातियान सीरवी निवासीगण बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

प्रतिवादीगण:
1. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा
2. नगरपालिका बिलाड़ा, जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिलाड़ा, जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :–12/2012

निर्णय दिनांक :–28/6/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री डी. डी. रामावत अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री रखाराम चौधरी अधिवक्ता उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का दावा अस्पष्ट एवं अधूरा है वादीगण ने अपने स्वयं के अभिवचनों के कथनों से बताया है कि राजस्व नक्शे की नकल लेने पर जानकारी हुयी और दुरूस्ती करने को कहा, इस तथ्य से यह साबित होता है वादीगण स्थायी निशेधाज्ञा के जरिये प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अतः मेरे सुविचारित मत से वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा
बिलाड़ा

(मुहर: न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा)

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भाषा ... आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-6-2017 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मुहर: न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा)

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा